तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	तारीख हुक्म अहकाम की तामील
31/8/25	अभि अभा अभि अन्य प्रति के पत्र हेतु खर्च चाही पत्री वादी पक्ष दिनांक 11/4/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी देवली (टोंक)	
12/4/25	राज ... दिनांक 11/4/25 को ... स्थान पर ... दि ... शेष अवकाश घो ... आज दिनांक 12/4/25 ... गई/पेश हुई। [illegible] 18/4/25 [illegible]	
18/4/25	पी.ओ.सा. अवकाश/राज कार्य से/दौरे पर बाहर/टोंक पधारे हैं। पत्रावली दि. 21/4/25 को पेश हो।	
21/4/25	पी.ओ.सा. अवकाश/राजकार्य से/दौरे पर बाहर/टोंक पधारे हैं। पत्रावली दि. 25/8/25 को पेश हो।	
25/8/25	PO सा. अवकाश/राजकार्य से दौरे पर बाहर/टोंक पधारे हैं। पत्रावली दिनांक 31/8/25 को पेश हो।	
31/8/25	अभि अभा अभ प्रति पंचमा 1 ता 3 व 6, 9 की ओर से पत्र पेश। अभि अभाव ने अन्य की प्रमाणित प्रति के वाद को PD करने व इस प्रा पत्र के बजाय अन्य की प्रमाणित अन्य की के वाद के चलने तक पक्षकार स्थायी निषेधाज्ञा के पाबंद करने की प्रार्थना की। अभि. अभा की बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। अस्थायी निषेधाज्ञा के लिए	

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
आवश्यक तत्व किए प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होते हैं। अतः अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 27/1/2021 की अस्थायी निषेधाज्ञा में परिवर्तित करते हुए प्रति पंचमा 1 ता 17 को वाद के निस्तारण तक पाबंद किया जाता है। पत्रावली फौरन सुधार हेतु नम्बर से कम हो प्रतिलिपि पत्र हो पत्रावली वाद के साथ संलग्नित हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी देवली (टोंक)	

...जादु 40वर्ष निवासी देवली गांव ...2..... पर

राजेश

...देवली जिला टोंक